


कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-: संशोधन आदेश :-

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.03.2019 द्वारा राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 19(23)शिक्षा-2/2019 जयपुर दिनांक 01.03.2019 की अनुपालना में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के जिला स्तर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संदर्भ व्यक्ति के पद पर "राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत एक वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान कर, आदेश प्रसारित किये गये थे । उक्त आदेश में वर्णित कार्मिक के आंशिक संशोधन किया जाता है । शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी ।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम मय पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति स्थान पर पद	संशोधन
1	2	3	4	5
1	HANSRAJ BAJROLIA, LECTURER	GSSS KHINWARA, PALI	RP	क्र.सं. 209 में कॉलम संख्या 04 में विषय व्याख्याता-हिन्दी साहित्य के स्थान पर व्याख्याता-रसायन विज्ञान पढा जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 24/03/19

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-4/सी-8/समसा-प्रतिनियुक्ति/2018/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, परिषद् मुख्यालय, जयपुर ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक-संभाग कार्यालय ।
6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक) ।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
9. संबंधित संस्थाप्रधान/नियंत्रण अधिकारी ।
10. संबंधित अधिकारी ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को उक्त आदेश प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें ।
12. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)